भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3034**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024/22 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों के लिए आयात पर निर्भरता

3034. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:
श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2022-23 में 7.6 मिलियन मीट्रिक टन (एमटी) यूरिया का आयात किया गया और यहां तक कि घरेलू रूप से उत्पादित यूरिया भी आयातित प्राकृतिक गैस पर बहुत अधिक निर्भर था, यदि हां, तो यूरिया के आयात को कम करने के लिए किए गए उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वैकल्पिक 'फीडस्टॉक' और कच्चे माल का विकास करने पर ध्यान दिया है क्योंकि भारत का उर्वरक क्षेत्र अभी भी प्राकृतिक गैस, अमोनिया और उर्वरकों के आयात पर निर्भर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के प्रति कोई कार्रवाई की है जिसमें उर्वरकों के लिए कच्चे माल के आयात हेतु दीर्घकालिक समझौते करना अथवा वापस खरीदने (बाय बैक) के समझौते सहित उर्वरकों के लिए कच्चे माल से समृद्ध देशों में संयुक्त उद्यम संयंत्रों की स्थापना करना शामिल है ताकि हमारी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सके; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी, हां। वर्ष 2022-23 के दौरान 7.58 मिलियन मीट्रिक टन यूरिया का आयात किया गया था।

यूरिया आयात को कम करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई

निजी कंपनियों द्वारा स्थापित की गई हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कार्यकुशल हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अतः, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान हुई 207.54 एलएमटीपीए की कुल यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़कर वर्तमान में 283.74 एलएमटीपीए हो गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से वर्ष 2014-15 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में यूरिया का 20-25 एलएमटीपीए तक अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

इन सभी उपायों की मदद से वर्ष 2014-15 के दौरान यूरिया उत्पादन 225 एलएमटी प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 314.07 एलएमटी का रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ।

तदनुसार, यूरिया का आयात वर्ष 2022-23 में 75.80 एलएमटी से घटकर वर्ष 2023-24 में 70.42 एलएमटी हो गया है।

(ख) और (ग): सरकार ने कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित 12.7 एलएमटी प्रति वर्ष क्षमता के अमोनिया यूरिया संयंत्र की स्थापना के लिए तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) नामक नामित पीएसयू की एक जेवीसी के गठन के माध्यम से तालचेर उर्वरक इकाई को पुनर्जीवित करने का अधिदेश दिया। परियोजना के पूरा होने पर, देश में यूरिया के उत्पादन में 12.7 एलएमटीपीए की वृद्धि होगी और इससे यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करने तथा फीडस्टॉक आपूर्ति में सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी क्योंकि कोयले को घरेलू स्तर पर प्राप्त किया जाएगा और इस क्षेत्र में फीडस्टॉक जोखिम को कम करने के लिए यूरिया उत्पादन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। इससे यूरिया आयात और प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता भी कम होगी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और स्वदेशी यूरिया उत्पादन अधिकतम होगा।

जहां तक पीएण्डके क्षेत्र का संबंध है, शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) को म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), जो पूरी तरह से आयात किया जाता है, के विकल्प के रूप में पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(घ) और (ड.): भारत सरकार उर्वरक के कच्चे माल में समृद्ध देशों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रही है ताकि कच्चे माल के आयात के लिए दीर्घकालिक करार या बाय- बैक व्यवस्था के तहत संयुक्त उद्यम उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की संभावना का पता लगाया जा सके।

इसे प्राप्त करने के लिए, सरकार ने भारतीय कंपनियों और उर्वरक समृद्ध देशों की विदेशी कंपनियों के बीच कई दीर्घावधिक करार (एलटीए) किए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय उर्वरक कंपनियों ने उर्वरक समृद्ध देशों में भी संयुक्त उद्यम बनाए हैं जैसे कि ओमान में ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (ओमिफ्को), सेनेगल में इंडस्ट्रीज चिमिक्स दू सेनेगल (आईसीएस) और जॉर्डन में जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (जेआईएफसीओ)।

******